मु0न0:–51/2024 उनवानः– विजय बनाम उगन्ती

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 51/2024 दिनांकः– 15.05.2024

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1. विजय सिह पुत्र दौजीराम जाटव, आयु 55 साल, निवासी मॉडापुरा, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर (राज.)

(वादी)

बनाम

1. उगन्ती पुत्री गोपी बैरवा
2. ओमप्रकाश पुत्र लाल बैरवा
3. निशांत पुत्र हरिप्रसाद बैरवा
4. भगवती पुत्री लाला बैरवा
5. मयंक पुत्र हरिप्रसाद बैरवा
6. रूंकमणी पत्नि लाला बैरवा
7. लक्ष्मी पुत्री लाल बैरवा
8. ललिता देवी पत्नि हरिप्रसाद बैरवा
9. शकुन्तला पुत्री लाल बैरवा
10. सुरेश पुत्र लाल बैरवा

(1 से 10) समस्त जाति बैरवा, निवासी मेहन्दीपुर, तहसील टोडाभीम, जिला करौली,

11. मुनीराम पुत्र हरमन्दर दास जाटव निवासी पावटा तहसील महवा जिला दौसा।
12. हजारी लाल पुत्र प्रभूदयाल कोली निवासी खैलपाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
13. हजारी लाल पुत्र प्रभूदयाल कोली निवासी खैलपाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
14. तहसीलदार टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट वादी

दिनांकः– 16-07-2025

निर्णय

वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मेहन्दीपुर की आराजी ख0न0 156/0.20, 157/0.31 कुल किता 2 कुल रकवा 0.51 है0 मे वादी बहिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है शेष हिस्से मे अन्य प्रतिवादी न0 1 ता 13 खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजीयात का अभी तक वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत बटवारा नही हुआ है। आराजीयात पर वादी प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। वादी एवं प्रतिवादीगण मे आये दिन मौके पर आराजीयात के कम–ज्यादा काश्त कर लेने के कारण एवं आराजीयात की डोल मेड को लेकर आपस मे विवाद बनाम रहता है एवं मौके पर अपने–अपने हिस्से की आराजीयात की नापतोल को लेकर आपस मे असंतुष्टि है ऐसी स्थिति मे सम्मिलित रूप से काश्त करना संभव नही हो रहा है।

बांका दिनांक 05.05.2024 को वादी अपने हिस्से की आराजी की सार संभाल कर रहा था तो प्रतिवादी न0 1 ता 13 आये और वादी से कहा कि आज के बाद हम ही इस सम्पूर्ण आराजी को काश्त करेगे, भूमि मुतनाजा [illegible] है [illegible] मेरे हिस्से की आराजी को शांतिपूर्वक काश्त नही करने देगे और नाही विधिवत [illegible] कराये ही दीगर लठैत अजनवी व्यक्तियो को हस्तान्तरित कर कब्जा करा[illegible] इस प्रकार प्रतिवादी न0 1 ता 13 ने भूमि मुतनाजा मे वादी के हिस्से से साफ इन्कार कर दिया, और [illegible] करान से भी साफ इन्कार कर दिया है और बिना विधिवत बटवारां कराये ही दीगर लठैत व्यक्तियो को हस्तान्तरति करने पर [illegible]। यदि प्रतिवादी न0 1 ता 13 अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये तो वादी को [illegible]य

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

क्षति होगी जिसकी पूर्ति इन टर्मस ऑफ मनी भी संभव नही हो सकेगी। इसलिये यह दावा बावत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण बावत तकास्मा डिक्री किया जाकर ग्राम मेहन्दीपुर की आराजी ख0न0 156/0.20, 157/0.31 कुल किता 2 कुल रकवा 0.51 है0 की प्रिमिलियर डिक्री बहक वादी पारित की जाकर सक्षम अधिकारी को कमिश्नर नियुक्त कर वादी के 1/4 हिस्से की आराजी का मुताबिक कब्जा व मुताबिक हिस्सा तकास्मा किया जाकर बाद जॉच रिपोर्ट कमिश्नर वादी के 1/4 हिस्से की आराजी पर मौके पर कब्जा कराया जावे एवं वादी के 1/4 हिस्से की आराजी से अलग खसरा नम्बर व अलग लगान कायम कर फाईनल डिक्री बहस वादी पारित की जावे, तदनृसार ही हाज राजस्व रिकार्ड मे वादी के ह कमे अमल दरामद किया जावे। एव प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वर्णित आराजीयात मे वादी के 1/4 हिस्से की आराजी से वादी को बेदखल नही करे, शांतिपूर्वक काश्त करने मे बाधक नही बने, बिना विधिवत बटवारा कराये किसी प्रकार से हस्तान्तरित नही करे, एवं शांतिपूर्वक काश्त करने देव तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी न0 14 तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित, प्रतिवादी न0 1 ता 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई

वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजी कुल किता 2 कुल रकवा 0.51 है0 मे वादी बहिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है शेष हिस्से मे अन्य प्रतिवादी न0 1 ता 13 खातेदार दर्ज-रिकार्ड हैं। वर्णित आराजीयात का अभी तक वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत बंटवारा नही हुआ हैं। आराजीयात पर वादी प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। वादी एवं प्रतिवादीगण मे आये दिन मौके पर आराजीयात के कम–ज्यादा काश्त कर लेने के कारण एवं आराजीयात की डोल मेड को लेकर आपस मे विवाद बनाम रहता है अतः दावा वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण बावत तकास्मा डिक्री किया जाकर वर्णित आराजीयात की प्रिमिलियर डिक्री बहक वादी पारित की जाकर सक्षम अधिकारी को कमिश्नर नियुक्त कर वादी के 1/4 हिस्से की आराजी का मुताबिक कब्जा व मुताबिक हिस्सा तकास्मा किया जाकर बाद जॉच फाईनल डिक्री बहस वादी पारित की जावे, तदनृसार ही हाज राजस्व रिकार्ड मे वादी के ह कमे अमल दरामद किया जावे। एव प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वर्णित आराजीयात मे वादी के 1/4 हिस्से की आराजी से वादी को बेदखल नही करे, तथा कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

वादीगण वकील की बहस पर मनन किया, पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात का अवलोकन किया, पत्रावली मे शामिल ग्राम मेहन्दीपुर की आराजी ख0न0 156/0.20, 157/0.31 कुल किता 2 कुल रकवा 0.51 है0 मे वादी बहिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है शेष हिस्से मे अन्य प्रतिवादी न0 1 ता 13 मुताबिक जमावन्दी मे दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार-दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी न0 1 ता 13 बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से एकपक्षीय कार्यवाही किय जाने से वादीगण का दावा बाद बहस व सुनवाई दिनांक 28.05.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का [illegible] अवलोकन कर अपनी बहस मे कथन किया कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा मुताबिक [illegible] व [illegible]जेकाश्त अनुसार बटवारा स्कीम पेश की है अतः मुताबिक बटवारा स्कीम [illegible] फाईनल [illegible] जावे।

उभयपक्ष वकील वकील की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो, व बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। तह[illegible]दार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

स्कीम रिकार्ड मे दर्ज हिस्सानुसार व कब्जेनुसार तैयार की गई है। तथा वादी वकील ने भी अपनी बहस मे भी कथन किया है कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्री कर दिया जावे। अतः वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम मेहन्दीपुर मे बटवारा स्कीम के अनुसार दावा निम्नानुसार फाईनल डिक्री किया जाता है।

क्र0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1	उगन्ती पुत्री गोपी जाति बैरवा सा0 देह खातेदार	156	0.0204 है0
2	मुनीराम पुत्र हरमन्दरदास जाति जाटव सा0 पावटा तहसील महवा खातेदार	156/1	0.0255 है0
3	हजारी लाल पुत्र प्रभूदयाल ज़ाति कोली सा0 खेलपाडा टोडाभीम खातेदार	156/2 157	0.0491 है0 0.1600 है0
		कुल किता 2	कुल रकवा 0.2091 है0
4	विजय सिंह पुत्र दौजीराम जाति जाटव सा0 मांडापुरा तहसील रूपवास खातेदार	156/3 157/1	0.0525 है0 0.0750 है0
		कुल किता 2	कुल रकवा 0.1275 है0
5	ओमप्रकाश पुत्र लाला हि0 1/7 सुरेश पुत्र लाला हि0 1/7 रूकमणी पत्नि स्व0 लाला हि0 1/7 भगवती पुत्री लाला हि0 1/7 लक्ष्मी पुत्री लाला हि0 1/7 शकुन्तला पुत्री लाला हि0 1/7 निशान्त पुत्र हरिप्रसाद हि0 1/21 मयंक पुत्र हरिप्रसाद हि0 1/21 ललिता देवी पत्नि स्व0 हरिप्रसाद हि0 1/21 जाति बैरवा सा0 देह खातेदार	156/4 157/2	0.0525 है0 0.0750 है0
		कुल किता 2	कुल रकवा 0.1275 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक—दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। फाईनल डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16-07-2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:37 IST
Reason: SelfAttested

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली